

# मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

## Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur

Phone: 0761-2670333, 2670338 (Aff.)  
Fax: 0761-2670333  
Website: mpmsu.edu.in  
E-mail: mpmsuregistrar@gmail.com



Address:  
Madhya Pradesh Medical Science University,  
NSCB Medical College Campus  
Bhedaghat Road, Jabalpur, MP-482003

जबलपुर, दिनांक 04/07/2016

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / सम्बद्धता / 2016 / 1232

प्रति,

प्राचार्य,

अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज,  
समदड़िया ग्रीन सिटी के पास मादोताल, जबलपुर म.प्र.

विषय:- बी.एच.एम.एस. - प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम हेतु पूर्व के विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता का मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में यथास्थिति में सत्र 2015-16 हेतु अस्थायी एवं प्रावधिक रूप से संबद्धता का सशर्त अन्तरण करने विषयक।

—000—


मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल एवं भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर तदर्थ विद्या परिषद की बैठक दिनांक 30/03/2016 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30/03/2016 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में पूर्व के विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता का मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा यथास्थिति में सत्र 2015-16 हेतु पूर्णतः अस्थायी एवं प्रावधिक रूप से सशर्त अन्तरण किया जाता है-

S. No.	Name of Course	Seats
1	B.H.M.S.-1 <sup>st</sup> Year	100

शर्तें :-

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2015-16 में सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख/चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख/चाही गई जानकारी सम्बद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
2. आगामी वर्ष 2016-17 की सम्बद्धता/निरंतरता हेतु भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित सम्बद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक-26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

4. कॉलेज कोड 28, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।
5. महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्तियां होने पर तीन माह की अवधि में नियुक्ति करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय को प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
6. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
7. विषय से सम्बंधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना होगी।
8. सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली, भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं मापदण्डों का पालन करना होगा।
9. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त किये गये प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेख (संबंधित की फोटो सहित) विश्वविद्यालय में जमा कराये जाये।


  
कुलसचिव

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,  
जबलपुर  
जबलपुर, दिनांक 04/07/2016

पृ. क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./सम्बद्धता /2016/ 1232 A

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
3. सचिव, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) शाखा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कार्यालय कुलपति/कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।

  
उप-कुलसचिव (संबद्धता)  
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,  
जबलपुर



रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म0प्र0)



जबलपुर, दिनांक 8/5/2018

क्रमांक/अका./2018/1830

प्रति,

प्राचार्य,  
अनुश्री हौम्योपैथिक कॉलेज,  
जिला-जबलपुर।

विषय:- सत्र 2017-18 की संबद्धता बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के अनुशंसा के आधार पर कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25/01/2018 के पद क्रमांक 03 में लिए गये निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार अस्थायी संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	वर्ष
1.	बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम।	2017-18

आदेशानुसार

(डॉ0 बी. भारती)  
कुलसचिव

क्रमांक/अका./2018/1830, "अ"

जबलपुर, दिनांक 8/5/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
2. उप कुलसचिव, (परीक्षा विभाग/गोपनीय विभाग), रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
3. कुलपति जी के सचिव, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

कुलसचिव

**स्पीडपोस्ट/SPEED POST**

**Permission letter**

**संख्या/ File No. R. 17014/137/2013/2018 – EP (H)**

**भारतसरकार/ Government of India**

**आयुर्वेद, योगवप्राकृतिकचिकित्सा, यूनानी,सिद्धएवंहोम्योपैथी आयुष (मंत्रालय)  
Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)**

**“आयुषभवन”“AYUSH BHAWAN”**

**“बी” ब्लॉक, जी.पी.ओ .कॉम्प्लेक्सआई.एन.ए.,नई दिल्ली- 110023**

**‘B’ Block, GPO Complex, INA, New Delhi - 110023**

**दिनांक/Dated: 12.09.2018**

**To**

**The Principal,  
Anushree Homoeopathic Medical College,  
112,Near Kashodhan Nagar, Madhotal,  
Jabalpur, (M.P.)**

**Sub:- Admissions for the academic year 2018-19 in existing BHMS Course with intake capacity of 60 seats at Anushree Homoeopathic Medical College, Jabalpur, (M.P.) reg.**

**Sir,**

I am directed to refer to the provisions prescribed under sub regulation 3(4) of HCC (MSR), 2013, wherein, the existing college has to fulfill the minimum standard requirement of infrastructure, teaching & training facilities by 31.12.2014 for consideration of grant of permission for undertaking admission in the coming academic year. As per the provision of sub regulation 3(9) of HCC (MSR), 2013, if the existing colleges fail to achieve full compliance of the requirements as specified in the regulation by 31.12.2014 the college may be stopped for taking admission in existing Courses. Further, as per the provision of section 12C (1) of Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018, all Homoeopathy Medical Colleges shall seek permission of the Central Government within 01 year from the said commencement in accordance with the provisions specified in the regulations made by the Central Council.

2. In order to verify the compliance of the College, the Board of Governors to CCH has conducted inspection of Anushree Homoeopathic Medical College, Jabalpur, (M.P.) on 14.06.2018 and furnished the recommendation as under –

*“Recommended for allowing admission in I-BHMS course with the intake capacity of 60 for the session 2018-19 subject to the removal of deficiencies reflected in the report of inspection before 31.12.2018”.*

3. The inspection report has been analyzed in terms of HCC(MSR),2013 and the policy of the Central Govt. for granting conditional permission and it is observed that the college is not fit for granting permission for taking admission in BHMS course with intake capacity of 60 seats

*SHM*

for the academic year 2018-19. In this regard the college was granted an opportunity of hearing to present their case. The college appeared before the designated hearing committee on 03.08.2018 and submitted the oral and written submission.

4. After considering the provisions of section 12C (1) of Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018, HCC(MSR) Regulations, 2013, recommendations of the Board of Governors to CCH and Policy of the Central Government for granting conditional permission during the session 2018-19 and observation of hearing committee, **permission of the Central Government is hereby granted to Anushree Homoeopathic Medical College, Jabalpur, M.P for continuing admissions in BHMS course with intake capacity of 60 seats for the academic year 2018-19** subject to condition that the college shall fulfill the following requirements by 31<sup>st</sup> December, 2018 :

- i. All the minimum standard requirements of infrastructure and teaching & training facilities as specified in Regulation 3 of the "Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations 2013" by 31<sup>st</sup> December 2018 and
- ii. All the requirements under the provisions of the HCC Act, 1973 and relevant Regulations made thereunder should be fulfilled *in toto*.

4. The College has to comply with the full requirements of HCC (MSR) Regulations, 2013 by 31<sup>st</sup> December, 2018 for continuing admissions during the subsequent years. A copy of the compliance report shall be submitted by the college to CCH under intimation to this Ministry. Subsequently, CCH shall verify the compliance well in time for considering the admissions during the Academic Year 2019-20 and furnish the recommendation to the Central Government.

5. Please acknowledge the receipt of this letter.

This issued with the approval of competent authority.

Yours faithfully,




(R.K. Khatri)

Under Secretary to the Govt. of India

**Copy to:**

- i. The Secretary, CCH, 61-65 Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058 for information and necessary action.
- ii. Secretary (Health & FW), Public Health & Family Welfare, Government of Madhya Pradesh, Room No. 82, Mantralaya (Vallabh Bhawan), Arera Hills, Bhopal - 462004, M.P for information.
- iii. The Registrar, M.P Medical University, Jabalpur, Madhya Pradesh for information.



(R.K. Khatri)

Under Secretary to the Govt. of India

